रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, जुलाई 31—अगस्त 6, 2011, शनिवार/श्रावण 9—श्रावण 15, 1933
No. 32] NEW DELHI, JULY 31—AUGUST 6, 2011, SATURDAY/SRAVANA 9—SRAVANA 15, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र) समूह 'क' पद के भर्ती नियम, 2005 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राज़पत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से कालम 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से कालम 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र)	01* (2011) (*कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है)।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	पे बैंड-3, (रु. 15600-39100 और ग्रेड पे 7600 रु.)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
मिश्रित पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति [(अल्पकालिक संविदा सहित) और पदोन्नति]	मिश्रित पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और पदोन्नति] : I. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत निकाय संगठनों के अंतर्गत ऐसे अधिकारी :

(11)

(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-3, रु. 15600-39100 और 6600 ग्रेड पे अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी या सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों में अनुप्रयोग मानचित्रकारी में दो वर्षों के अनुभव सहित मानचित्र प्रकाशन में 10 वर्षों का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में डाक्टर की उपाधि ।

(ii) मानचित्र और भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित अनुसंधान प्रकाशन ।

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी पद्धति में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ।

II. पे बैण्ड-3, 15600-39100 रु. 6600/- रुपए ग्रेड पे में पांच वर्षों की नियमित सेवा वाले विभागीय मानचित्र अधिकारी, पर बाहर से आए उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद के लिए उसका चयन हो जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा ।

टिप्पण 1 : फीडर वर्ग के वे विभागीय कर्मचारी जो पदोन्नति की (अप्लकालिक संविदा सहित) सीधी लाइन में है प्रतिनियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर [प्रतिनियुक्ति (संविदा की अवधि सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी] ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, की गई नियमित सेवा को तदनुरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे या वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे या वेतनमान बगैर किसी **उन्नयन सा**मान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं ।

9)

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं	पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-16011/5/2004-प्रशा.-2/5]
सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 1st August, 2011

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Map) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Registrar General (Map), in the Office of the Registrar General, India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Map) Group 'A' post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Registrar General (Map)	1*(2011) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, ₹15600–39100 plus Grade pay ₹7600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to the filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By Composite method [deputation (including short term contract) plus promotion].	**Composite method [depuation (including short term contract) plus promoiton] :** I. Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Orgnisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in the Pay Band -3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :— (i) Master's Degree in Geography from a recognized University; (ii) Ten years' experience in map publication in a map publication office under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations including two years' experience in applied cartography.

(11)
Desirable: (i) Doctorate Degree in Geography from a recognized University. (ii) Research publications on Cartography or Geographical Information System. (iii) Certificate course in Statistical methods from a recognized University or Institute. II. The departmental Map Officer in Pay Band -3 Rs. 15600–39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five years' regular service shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-16011/5/2004-Ad. II/Ad-V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations